

मु.नं. 5/23 अर्जुनलाल/भगवान

7-5-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब नैरे/अवकाश पर पधारे है।

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....18-6-25..... को पेश हो

18-6-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.)
बदल हेतु लाल यादव। लाल
दिलप जाकर पत्रावली दिनांक 16-7-25
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

16-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब नैरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....22-8-25..... को पेश हो

22-8-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।
बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार
आवाज दिलवाने के बावजूद वादी व वकील
वादी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम
हजरती। अदम फेरवी में वादी का वाद खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फेरवी नुमाद होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)